निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (शo)

(सं0 पटना 514) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 जून 2013

सं0 22/नि0सि0(गया0)–24–03/2012/637––श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्ल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियन्ता, नहर रूपांकण प्रमण्डल सं0–2, अनिसाबाद, पटना से विभागीय पत्रांक 700 दिनांक 29.6.12 द्वारा निम्नांकित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गईः–

1. जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद अन्तर्गत मखदुमपुर प्रखण्ड के ग्राम सुंगॉव में कराए गए कटाव निरोधक कार्य में कार्य आरंभ करने की तिथि 14.2.11 थी, किन्तु उड़नदस्ता जांच दल को दिनांक 11.3.11 से विलम्ब से कार्य आरम्भ करने का प्रमाण मिला।

2. उक्त कार्य में ब्रीक क्रेट में ईट की प्रावधानीत सं0–1152 के विरूद्व मात्र 1024 ईट ही पाए गए एवं शेष टूटे हुए ईट पाए गए। विशिष्टि के अनुरूप ब्रीक क्रेट का कार्य नहीं कराया गया।

3. निर्गत कार्यादेश के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 31.5.11 थी लेकिन 31.5.11 के पश्चात कराए गए कार्य की रिकार्ड इन्ट्री 30.6.11 तक की गई अर्थात कार्य की समाप्ति की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण रहा।

श्री अनिल कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया कि संवेदक के साथ दिनांक 14.2.11 को एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया एवं कार्यादेश दिया गया। दिनांक 11.3.11 से कार्य स्थल पर कार्य कटिंग (Earth Cuting) प्रारम्भ हुआ। इस बीच की अवधि में निर्माण कार्य के पूर्व प्रारंभिक एवं आवश्यक तैयारी यथा निर्माण सामग्रियों का संकलन, कार्यस्थल से अवांछित वस्तुओं को हटाने एवं कार्य स्थल की सफाई जंगल क्लियरेंस एवं प्रोफाईल मारकिंग इत्यादि कार्य कराया गया। साथ ही नाईलन क्रेट बी0 ए0 वायर ईट एवं खाली सिमेंन्ट बैग का संकलन इत्यादि कार्य भी किया गया। उक्त कटाव निरोधक कार्य जमुने नदी के बाए तट पर कराया गया था। यह बरसाती नदी है जिसमें बरसात के समय ज्यादा करेन्ट रहता है। ब्रीक क्रेटिंग लगाने के बाद नदी में तीन तीन बार बाढ़ का पानी आया था एवं सभी लेयर बहुत–बहुत दिनों तक डूबे रहे थें। बाढ़ के बाद गांव की जनता एवं मवेशी ब्रीक क्रेट को आने जाने एवं नदी में उतरने के काम में उपयोग करते रहे है। निर्माण प्रक्रिया के क्रम में भी लेईग करने में कुछ ईट टूटने की संभावना रहती है। प्राक्कलन में 'बी' श्रेणी की ईट का प्रावधान था। उड़नदस्ता द्वारा जांच बाढ़ के मौसम के बाद किया गया था। इस प्रकार बाढ़ आने ग्रामीण जनता एवं मवेशी द्वारा उपयोग करने के फलस्वरूप कुछ ईट टूटकर टुकड़े में हो सकते है। निर्माण के क्रम में अध्यक्ष विशेष जांच दल द्वारा पॉच बार मुख्य अभियन्ता द्वारा एक बार एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दो बार स्थल निरीक्षण किया गया था परन्तु कार्य के संबध में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गई। कार्य में प्रयुक्त ईट की जांच शोध एवं प्रशिक्षण प्रमण्डल सं0–3 एवं 2 खगौल, पटना द्वारा की गई एवं गुणवत्ता के

संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं किया गया है। कार्य समाप्ति की तिथि 31.5.11 निर्धारित थी परन्तु पंचायत चुनाव के कारण कार्य दिनांक 31.5.11 तक समाप्त नहीं हो सका। दिनांक 9.6.11 को मुख्य अभियनताओं की राज्य स्तरीय बैठक में कटाव निरोधक कार्यो की समीक्षा के क्रम में एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया। कार्य दिनांक 15.6.11 तक पूर्ण हो गया तथा रिकार्ड इन्ट्री को दिनांक 15.6.11 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। अध्यक्ष विशेष जांच दल की अनुशंसा एवं अधीक्षण अभियन्ता के निदेश के अनुपालन में दो एकस्ट्रा लेयर में ब्रीक क्रेट का कार्य हुआ एवं यह कार्य भी दिनांक 30.6.11 को समाप्त हो गया जिसके रिकार्ड इन्ट्री को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 30.6.11 को हस्ताक्षरित किया गया है। दिनांक तक की समयवृद्वि की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता के पत्रांक 1105 दिनांक 7.6.11 द्वारा दी गई है। इस प्रकार कार्य ससमय पूर्ण किया गया है। जो कार्य हुआ वह उच्चाधिकारियों के निदेश एवं जानकारी में हुआ।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद के अधीन मखदुमपुर प्रखण्ड के सुंगॉव ग्राम में कराए गए कटाव निरोधक कार्य को दिनांक 14.2.11 को प्रारम्भ किया जाना था परन्तु उक्त कार्य दिनांक 11.3.11 को प्रारम्भ किया गया कटाव निरोधक कार्य को प्रारम्भ किए जाने में करीब एक माह का विलम्ब कार्य में श्री कुमार द्वारा शिथिलता बरतने एवं गैर जबावदेह होने का द्योतक है। विलम्ब से कार्य प्रारम्भ होने के कारण ही कार्य ससमय पूरा नहीं हो सका तथा इसके लिए समयवृद्वि स्वीकृत करने की आवश्यकता हुई। मामले की समीक्षोपरान्त श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियन्ता, नहर रूपांकण प्रमण्डल सं0–2, अनिसाबाद, पटना के विरूद्व कार्य में शिथिलता बरतने एवं गैर जबावदेह होने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः–

1. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्वि पर रोक।

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियन्ता, नहर रूपांकण प्रमण्डल सं0–2, अनिसाबाद, पटना को असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्वि पर रोक का दण्ड देते हुए यह दण्डादेश उन्हें संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्याम कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 514-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in